

कार्यालय, उच्च न्यायालय विधिक सेवा—स0 बैंच, ग्वालियर (म.प्र.)

सूचना

दिनांक 11 दिसम्बर 2021 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिंकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी प्रकरण (मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामलों जो सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित है, उच्च न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जावेगा।

अतः समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने उपयुक्त प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से कराना चाहते हैं साथ ही ऐसे अधिवक्ता जो अपना प्रकरण स्वेच्छा से वापस लेना चाहते हैं, वे यथाशीघ्र प्रकरणों की सूची कार्यालय में प्रदान करने का कष्ट करें अथवा कार्यालयीन ई-मेल आई.डी. **laohcgwalior@gmail.com** में प्रेषित करें ताकि प्रकरणों की सूची तैयार कराई जा सके।


(विमल प्रकाश शुक्ला)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार / सचिव